न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहाबाद जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 02/19 दायरा दिनांक 30.8.2019

पीठासीन अधिकारी – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

राजेशकुमार पुत्र रामरतन उम्र 50 वर्ष जाति किराड निवासी नारायणखेडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

– प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल उम्र 38 वर्ष पुत्र रामकुमार जाति किराड निवासी नारायणखेडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां (राज0)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू आवंटन अधिनियम 1970 वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 05.06.2002 ग्राम नारायणखेडा तहसील शाहावाद की भूमि खसरा नंबर 147 रकबा 12 बीघा, जो अप्रार्थी कम 1 के नाम आवंटन करवायी गयी है।

<u>निर्णय दिनांक– 24.03.2022</u>

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से – श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
अप्रार्थी कम 1 की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
अप्रार्थी कम 2 की ओर से – पैरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.06.2002 को अप्रार्थीकम 1 ने ग्राम नारायणखेडा की आराजी खसरा नं. 147 रकबा 12 बीघा अपने नाम से आवंटन करवायी है, जो सर्वथा गलत एवं विधि विरूद्व है। अप्रार्थीकम 1 द्वारा गलत तथ्यों पर अपने आपको भूमिहीन बताकर आवंटन करवाया है, खसरा नं. 147 का कुल रकबा 50 बीघा से अधिक है, जिसमें से विभिन्न व्यक्तियों के नाम भूमि आवंटन हुई है। किन्तु इसी भूमि में से खसरा नं. 147 का बटा नम्बर डालकर खसरा नं. 147/3 करके रकबा 12 बीघा पर देवीलाल पुत्र राजकुमार जाति किराड इन्तकाल नं. 501 दिनांक 05.06.2002 से गैरखातेदारी दे दी गयी, जिसका अंकन जमाबन्दी ग्राम नारायणखेडा सं. 2060–63 में किया गया तथा इसी जमाबन्दी में इन्तकाल नं. 653 दिनांक 30.04.05 से खातेदारी भी देवीलाल पुत्र राजकुमार किराड के नाम से दी गयी, जबकि नक्शे में जो दखलनामा बनाया गया वह खसरा नं. 147/1 करके दिनांक 27.07.2002 दखलनामा एलोटी बनाया गया जिसमें देवीलाल पुत्र रामकुमार को दखल देना बताया। इस प्रकार यही से इस फर्जी एलोटमेंन्ट की शुरूआत होती है। क्योंकि एलोटमेन्ट तो हुआ है देवीलाल पुत्र रामकुमार के नाम से और गैरखातेदारी दी गई देवीलाल पुत्र राजकुमार के नाम से जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति [illegible] में निवास ही नहीं करता है। जो राजस्व नियमों के विरूद्व दी गई है, [illegible] भूमि पर आजतक देवीलाल पुत्र राजकुमार अथवा देवीलाल पुत्र [illegible]मार किसी [illegible] व्यक्ति के नाम कब्जा नहीं दिया गया है। राजस्थान विधान सभा किश[illegible] की [illegible] नामावली सन 2014 भाग [illegible]59 के निर्वाचन सूची की कम सं. 618 पर देवीलाल पुत्र शिवलाल का नाम दर्ज है इस प्रकार कमांक 620

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

कान्ही पति शिवलाल दर्ज है, कमांक 621 पर राधेश्याम पुत्र शिवलाल का नाम दर्ज है, कमांक 619 पर रतन पति का नाम देवीलाल अंकन है, इससे स्पष्ट है कि आवंटित नाम का कोई व्यक्ति नारायणखेडा में रहता ही नहीं है, नारायणखेडा के राशन कार्ड नं. 200003176129 जो जारी हुआ है उसमें देवीलाल पुत्र शिवलाल के नाम से जारी है, ग्राम कुश्यारा में सं. 2072–75 की जमाबन्दी में खसरा नं. 302/5 रकबा 2 बीघा भूमि देवीलाल पुत्र शिवलाल रतनबाई पत्नि देवीलाल जाति किराड निवासी नारायणखेडा की गैरखातेदारी में अंकन है, जो इन्तकाल नं. 1938/1997/2082 आवंटन दिनांक 13.02.2008 से हुयी है, इससे से भी स्पष्ट है कि उक्त आवंटित व्यक्ति फर्जी आवंटन करवाने में माहिर है। ग्राम समरानियां में सं. 2071 से 2074 की जमाबन्दी में देवीलाल पुत्र शिवलाल कौम किराड निवासी नारायणखेडा के नाम का अंकन है, इसमें खसरा नं. 972 रकबा 2 बीघा 2 बिवा व खसरा नं. 974 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा कुल 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि जो इसने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामे से खरीदी है, जो इसकी सही वल्दीयत है आवंटित व्यक्ति से मेल खाती है, स्पष्ट है कि दिनांक 05.06.2002 को करवाया गया आवंटन फर्जी है, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कम 1 के जन्म तिथि के बावत राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कुशियारा से जन्म तिथि का रिकाड चाहा गहा था उसमें भी ग्राम नारायणखेडा की प्राथमिक पाठशाला के 24 कमांक पर देवीलाल पुत्र शिवलाल का नाम अंकन है जिसमें उसकी जन्मतिथि 03.07.1980 बतायी गई है। समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवंटन फर्जी है उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के विभिन्न निर्णयों के अनुसार यदि आवंटन फर्जी तरीके से करवाया गया है तो खातेदारी मिलने के बाद भी आवंटन निरस्त किया जायेगा। आवंटन आदेश दिनांक 05.06.2002 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.07.2019 को हुयी जब अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रार्थी के विरूद्व एक दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट का उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद में अपनी खातेदारी की भूमि बतलाकर स्थगन लेने के लिये पेश किया, तब प्रार्थी को जानकारी हुई तब प्रार्थी ने दिनांक 24.07.2019 को नकल पेश कर दिनांक 30.07.2019 को नकल मिली, अत तारीख जानकारी से आवेदन अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 05.06.2002 ग्राम नारायणखेडा की भूमि खसरा नं. 147 रकबा 12 बीघा जो अप्रार्थीकम 1 के नाम किया गया है, निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी कम 1 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया है कि प्रार्थनापत्र की मद नम्बर 1 जिस तरह लिखी गई है, अस्वीकार है दिनांक 05.06.2002 को ग्राम नारायणखेडा की आराजी खसरा नम्बर 147 रकबा 12 बीघा विधिवत आवंटन सलाहकार समिति मुकाम नारायणखेडा द्वारा अप्रार्थीकम–1 के हक में आवंटन की गई है, जो विधिवत आवंटन नियमानुसार होने से सही है। प्रार्थनापत्र की मद नम्बर 2 तथ्यों को तोड–मरोड कर अंकित की गई है इस कारण अस्वीकार है। ग्राम नारायणखेडा की आराजी खसरा [illegible] बीघा था, जो सिवायचक किस्म बंजड के रूप में जमाबन्दी 2056–59 में द[illegible] में से सर्वप्रथम 6 बीघा भूमि रामचरण पुत्र सुरेश मेहतर को, दूसरे न[illegible] 8 बीघा भूमि [illegible] पुत्र मूला किराड को, तीसरे नम्बर 12 बीघा भूमि अप्रार्थीकम 1 को [illegible] में 5 बीघा भूमि मदन पुत्र गजनलाल किराड को दिनांक 13.02.2008 को [illegible]टन हुई है, शेष रकबा 24.06 बीघा आज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

भी सिवायचक होकर खाता सरकार दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 147 का प्रथम आवंटी होने से रामचरण मेहतर के आवंटन का अमल गैरखातेदारी नामान्तरण नम्बर 492 से दर्ज होकर बटा नम्बर 147/1 दिया गया है, द्वितिय आवंटी होने से लक्ष्मण किराड को आवंटन का अमल गेरखातेदारी नामान्तरण नम्बर 499 से दर्ज होकर बटा नम्बर 147/2 दिया गया है, इसी प्रकार अप्रार्थीकम 1 देवीलाल के आवंटन का अमल गैरखातेदारी नामान्तरण नम्बर 501 से दर्ज होकर बटा नम्बर 147/3 दिया गया है तथा मदन किराड को उसका बटा नम्बर 147/4 दिया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीकम 1 की आवंटनशुदा भूमि का खसरा नम्बर 147/3 दर्ज किया गया है, जो भू–राजस्व नियमावली अनुकम अनुसार पूर्णतया वैधानिक है। आवंटन के बाद अप्रार्थीकम 1 को हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 27.07.2002 को विधिवत आवंटनशुदा भूमि पर दखल तथा कब्जा दिया गया है, तभी से अप्रार्थीकम 1 अपनी उक्त आवंटन शुदा भूमि पर वहैसियत मालिक काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। आवंटन शर्तों की पालना के अनुकम में विधिवत गैरखातेदारी तदुपरान्त खातेदारी दर्ज की गई है, जिसमें हस्तक्षेप करने का प्रार्थी को कोई वैध हक नहीं है। प्रार्थी का यह कथन है कि ऐलोटमेन्ट देवीलाल पुत्र रामकुमार के नाम से हुआ हो और गैरखातेदारी देवीलाल पुत्र राजकुमार के नाम से दर्ज की गई हो नितान्त असत्य व आधारहीन होने से अस्वीकार है, आवंटन आदेश दिनांक 05.06.2002 में अप्रार्थीकम 1 के पिता का नाम रामकुमार तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2056–59 में अंकित गैरखातेदारी नोट में अप्रार्थीकम 1 के पिता का नाम रामकुमार ही दर्ज है, वास्तविकता यह है कि अप्रार्थीकम–1 की मां कान्हीबाई ग्राम कोयला जिला बारां निवासी भैरूलाल किराड की पुत्री है, जिसका विवाह रामकुमार उर्फ राजकुमार पुत्र धूलीलाल किराड निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील किशनगंज के साथ आज से करीब 35 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ था, विवाह उपरान्त अप्रार्थीकम–1 की मां कान्हीबाई अपनी ससुराल लक्ष्मीपुरा में पति राजकुमार उर्फ रामकुमार के साथ रहने लगी और इसी दौरान कान्हीबाई ने राजकुमार उर्फ रामकुमार के नुत्फे से अप्रार्थीकम–1 को जन्म दिया, इसके कुछ समय बाद ही घरेलू कारणों से अप्रार्थीकम–1 की माता कान्हीबाई को प्रचलित जाति प्रथानुसार छोड–छुट्टी (तलाक) दे दी और कान्हीबाई के स्थान पर ग्राम उम्मेदपुरा जिला झालावाड निवासी उर्मिला से विवाह कर लिया, तदुपरान्त कान्हीबाई अप्रार्थीकम–1 को साथ लेकर अपने पिता के पास चली गई, उस समय अप्रार्थीकम–1 करीब 5 वर्ष का था, तब कान्हीबाई ने प्रचलित जाति प्रथानुसार शिवलाल पुत्र भंवरलाल किराड निवासी नारायणखेडा से नाता कर लिया, उस समय कान्हीबाई के साथ अप्रार्थी कम 1 गेलड आया था। जिसके पालन–पोषण का समस्त जिम्मा शिवलाल ने वहन करना स्वीकार किया, इस प्रकार अप्रार्थीकम–1 के जन्मदाता पिता राजकुमार उर्फ रामकुमार पुत्र धूलीलाल किराड निवासी लक्ष्मीपुरा हैं तथा पालनकर्ता पिता शिवलाल पुत्र भंवरलाल किराड निवासी नारायनखेडा हैं। इस प्रकार उक्त भूमि अप्रार्थी कम 1 के नाम विधिवत आवंटन की गई है, जिसमें अप्रार्थी क्रम 1 के जन्मदाता पिता रामकुमार उर्फ रामकुंवार का नाम अंकित है। अप्रार्थीकम–1 अपनी मां [illegible] गेलड आया उसी समय से स्थाई रूप से ग्राम नारायणखेडा में निवास[illegible] काबिज है। मद नंबर 3 जिस तरह लिखी गई है, अस्वी[illegible] की मां कान्हीबाई ने शिवलाल के साथ नाता किया तब अप्रार्थी कम 1 करीब 5 वर्ष [illegible] बालक था, जो साथ आया था जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

पालन–पोषण का समस्त जिम्मा शिवलाल ने वहन करना स्वीकार किया और अप्रार्थी क्रम 1 को पिता का नाम दिया, शिवलाल ने ही अप्रार्थीक्रम 1 का ग्राम नारायनखेडा विधालय में दाखिला कराया था, इसी कारण विधालय रिकार्ड में अप्रार्थी क्रम 1 की बल्दियत शिवलाल दर्ज है, इसी अनुसार निर्वाचन नामावली में भी अप्रार्थी क्रम 1 बल्दियत शिवलाल दर्ज है। उक्तानुसार ही राशनकार्ड में भी अप्रार्थी क्रम 1 की बल्दियत शिवलाल दर्ज है। अप्रार्थी क्रम 1 के जन्मदाता पिता रामकुमार उर्फ रामकुंवार है तथा पालनकर्ता पिता शिवलाल है, इसी क्रम में ग्राम कुशियारा की आराजी ख.नं. 302/5 खाते में अप्रार्थी क्रम 1 की बल्दियत शिवलाल दर्ज है। ग्राम समरानिया की आराजी खाते में अप्रार्थी क्रम 1 की बल्दियत पालनपकर्ता पिता शिवलाल दर्ज है। इस प्रकार प्रश्नगत आवंटन आदेश में अप्रार्थी क्रम 1 की बल्दियत में जन्मदाता पिता रामकुमार उर्फ रामकुंवार का नाम अंकन हो जाने से उक्त आवंटन फर्जी तथा अमान्य नहीं माना जा सकता है।

विशेष आपत्ति अन्तर्गत कथन किया है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि वह किस प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 के आवंटन से व्यथित पक्षकार है, इस कारण प्रार्थी को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। आवंटन विधिवत आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार किया गया है आवंटन की पालना में मौके पर दखल तथा कब्जा संभलाया गया है आवंटन शर्तों की पालना के अनुक्रम में गैरखातादारी तदुपरान्त वर्ष 2005 में खातेदारी दर्ज की गई है। अप्रार्थी क्रम 1 को निरंतर काश्त करते हुये 17 वर्ष हो चुके हैं, इस कारण विधिक प्रावधान अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी ग्राम नारायणखेडा का प्रभावशाली धनाढ्य व्यक्ति है, प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाई राकेश व पिता रामरतन एडवोकेट ने मिलकर गत वर्ष आषाड के महीने में अप्रार्थी क्रम 1 की खातेशुदा भूमि पर जबरन अवैधानिक कब्जा कर लिया है, जिनके विरूद्व अप्रार्थी ने धारा 183,188 राज. काश्त. अधि. अन्तर्गत बेदखली तथा निषेधाज्ञा हेतु वाद न्यायालय एस.डी.ओ. शाहावाद में पेश कर रखा है, इसी रंजिशवश प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रारंभ से ही प्रार्थी अप्रार्थीक्रम–1 के खाते की उक्त भूमि को हडपना चाहता है, इसी ध्येय से पूर्व में भी राजकुमार विजयसिंह पुत्र जयलाल अहेडी निवासी नारायणखेडा के मार्फत अप्रार्थी क्रम 1के प्रश्नगत आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र कमांक 16/09 अन्तर्गत 14 (4) आवंटन नियम 1970 श्रीमान न्यायालय में पेश किया था, जिसे बाद विचारण श्रीमान न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.07.2010 से प्रार्थनापत्र खारिज फरमा दिया है, इसके बावजूद प्रार्थी ने मिथ्या तथा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थनापत्र महज रंजिश पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण [illegible] सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अप्रार्थी क्रम 1 [illegible] में दिनांक 05.06.2002 को ग्राम नारायणखेडा तहसील शाहावाद [illegible] आराजी [illegible] नंबर 147 रकबा 12.00 बीघा को गलत तथ्यों के आधार पर स्वयं [illegible] आवंटन कराने से तथा मुख्य रूप से आवंटी/अप्रार्थीक्रम 1 के पिता का नाम शिवलाल होने के कारण फर्जी बल्दियत रामकुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

अंकित कर आवंटन कराने से उक्त आवंटन को चुनौती दी है। राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) अन्तर्गत प्रावधान है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा निरसन नियम 21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्व–प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदनपत्र पर रद्द करने की जिला कलेक्टर की शक्ति होगी यदि आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया गया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो। हस्तगत प्रकरण में हमें देखना है कि क्या प्रश्नगत आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया है? किन्ही नियमों के विरूद्व किया गया है? अथवा आवंटिती ने आवंटन शर्तों में से किसी शर्त को भंग किया है?

हस्तगत प्रकरण में आवंटन परामर्शदाता समिति मुकाम नारायणखेडा द्वारा दिनांक 05.06.2002 को ग्राम नारायणखेडा के खसरा नम्बर 147 की 12.00 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थीकम 1 के हक में किया गया है। आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी कम 1 ने आवेदन में ग्राम नारायणखेडा की भूमि खसरा नंबर 147 के रकबा 12.00 बीघा को आवंटन किये जाने हेतु आवेदन किया है, जिस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली जाकर आवंटन समिति द्वारा दिनांक 05.06.2002 को उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी कम 1 के हक में किया गया है। इस आवंटन की पालना में दिनांक 27.07.2002 को पटवारी हल्का कुशियारा द्वारा आवंटी को उक्त आवंटनशुदा भूमि पर दखल दिया गया है, जो संलग्न दखलनामा की प्रति से स्पष्ट है। संलग्न नकल जमाबंदी संबत 2060–63 अनुसार नामान्तरण संख्या 501 से अप्रार्थी कम 1 को गैरखातेदारी तथा नामान्तरण संख्या 653 से नियमानुसार खातेदारी दर्ज किया जाना स्पष्ट है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार उक्त आवंटित भूमि 12.00 बीघा खसरा संख्या 147/3 होकर अप्रार्थी कम 1 के नाम खाता दर्ज है। इस प्रकार उक्त आवंटन प्रकिया में हम किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

प्रार्थी का आक्षेप है कि अप्रार्थी के पिता का नाम शिवलाल होते हुये रामकुमार दर्ज कराकर अप्रार्थी ने उक्त आवंटन फर्जी कराया है। इस संबंध में अप्रार्थी का कथन रहा है कि अप्रार्थी कम 1 मां कान्हीबाई ग्राम कोयला जिला बारां निवासी भैरूलाल किराड की पुत्री है, जिसके विवाहित पति का नाम रामकुमार उर्फ राजकुमार पुत्र धूलीलाल किराड निवासी लक्ष्मीपुरा है, जो अप्रार्थी कम 1 का जन्मदाता पिता है। जब अप्रार्थी 5 वर्ष का था, तब रामकुमार उर्फ राजकुमार ने कान्हीबाई को प्रचलित जाति प्रथानुसार छोड–छुट्टी दे दी, इसके बाद कान्हीबाई ने प्रचलित जाति प्रथानुसार शिवलाल पुत्र भंवरलाल किराड निवासी नारायणखेडा से नाता कर लिया, उस समय कान्हीबाई के साथ अप्रार्थी कम 1 गेलड आया था। जिसका पालन–पोषण शिवलाल ने किया है। इस प्रकार अप्रार्थीकम–1 के जन्मदाता पिता राजकुमार उर्फ रामकुमार पुत्र धूलीलाल किराड निवासी लक्ष्मीपुरा हैं तथा पालनकर्ता पिता शिवलाल पुत्र भंवरलाल किराड निवासी नारायणखेडा हैं। इस प्रकार उक्त भूमि अप्रार्थी कम 1 के नाम विधिवत आवंटन की गई है, जिसमें अप्रार्थी कम 1 के जन्मदाता पिता रामकुमार उर्फ रामकुंवार का नाम अंकित है। अप्रार्थी के इस तथ्य का कोई खंडन प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है और ना ही इसके विपरीत कोई साक्ष्य पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि वह प्रश्नगत आवंटन से किस प्रकार प्रभावित है और उसे किस कारण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई प्राप्त है। पत्रावली पर उपलब्ध इस न्यायालय के पूर्व निर्णय की प्रति दिनांक 29.07.2010 प्रकरण संख्या 16/09 बलवान राजकुमार आदि बनाम देवीलाल से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के प्रश्नगत आवंटन को पूर्व में भी चुनौती दी गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने बाद विचारण अप्रार्थी को आवंटन का पात्र तथा प्रश्नगत आवंटन को उचित मानते हुये प्रार्थनापत्र खारिज किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी कम 1 को खातेदारी दी जा चुकी है और खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत DNJ 2018 (2) माननीय राजस्थान हाई कोर्ट स्टेट आफ राजस्थान v/s शंकरलाल नट व अन्य भी पेश किया।

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से न्यायहित में अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested